दिनांक 29.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 453/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जैतपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली धातु के आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट की)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा/जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2026 को थाना जैतपुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त पप्पू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली धातु के आभूषण, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट की), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा/जीवित कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैतपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, फतेहपुर, सीतापुर, आजमगढ़, गाजीपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जैतपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– पप्पू निवासी ग्राम ग्वारी थाना थानगांव जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी की पीली धातु के आभूषण।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट की)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा/जीवित कारतूस आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना कुर्सी

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली धातु का आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.08.2026 को थाना कुर्सी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–शुभम सहित अभियुक्त 2–साहिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से पीली धातु का आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना कुर्सी क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुर्सी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शुभम थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुर्सी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शुभम निवासी सतरिख रोड थाना चिनहट, लखनऊ।

2–साहिल निवासी मोहल्ला कुम्हारन टोला थाना चिनहट, लखनऊ।

बरामदगी

1–पीली धातु का आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **36 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 स्कार्पियो वाहन**
- **05 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2026 की रात्रि थाना रॉबर्ट्सगंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–विधिचन्द्र 2–साजिद अली 3–रईस खान 4–आदित्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 36 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, 01 स्कार्पियो वाहन, 05 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विधिचन्द्र निवासी लिलारीभरौली थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2–साजिद अली निवासी ग्राम सोहरौना सिंघापट्टी थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर।

3–रईस खान निवासी ग्राम जंगल खिरकिया थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर।

4–आदित्य निवासी गम्भीरिया बुजुर्ग थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–36 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 स्कार्पियो वाहन।

3–05 मोबाइल फोन।

4–नगद रूपये आदि।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 67 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 75(2)/76/352/65(2) बीएनएस व 5(एम)(एन)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू को आजीवन कारावास व 01 लाख 67 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास की सजा व प्रत्येक को 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना दुद्धी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 04 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–मनोज 2–भगवान 3–अभियुक्ता 10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 45–45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————